

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2015/अग्रहायण 18, 1937

No. 766]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015

सं. 26/2015—सेवा कर

सा.का.नि. 948(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उप-धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सेवा कर नियमावली, 1994, में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा—

- (1) इन नियमों को सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- उक्त नियमावली के नियम 6 के उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित जाएगा, यथा;

“बशर्ते कि तमिलनाडु राज्य के निर्धारितियों के मामले में, नवंबर 2015 के महीने में देय सेवाकर का भुगगान केंद्र सरकार के खाते में 20 दिसम्बर, 2015 तक करा दिया जाएगा ।”।

[फा. सं. 137 / 178 / 2015—सेवाकर]

हिमानी भयाना, अवर सचिव

नोट:—मूल नियमावली को अधिसूचना सं. 2/94—सेवाकर, दिनांक 28 जून 1994, सा.का.नि. 546(अ), दिनांक 28 जून 1994 के तहत, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग—II, खंड—3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 25/2015—सेवाकर, दिनांक 12 नवम्बर, 2015, सा.का.नि. 855(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2015

No. 26/2015-Service Tax

G.S.R. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Third Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Service Tax Rules, 1994, in rule 6, in sub-rule (1), after the third proviso, the following shall be inserted, namely:—

“Provided also that in the case of an assessee in the State of Tamil Nadu, the service tax payable for the month of November, 2015, shall be paid to the credit of the Central Government by the 20th day of December, 2015.”.

[F. No. 137/78/2015-Service Tax]

HIMANI BHAYANA, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 2/94-SERVICE TAX, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification No. 25/2015-SERVICE TAX, dated the 12th November, 2015 *vide* number G.S.R. 855(E), dated the 12th November, 2015.